मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, बेतिया, प0 चम्पारण
योगापट्टी(नवलपुर) थाना काण्ड सं0 320/2019

दिनांक 11.09.2019

आवेदक अभियुक्त उमेश चौधरी, संजय चौधरी, आशा देवी, दिनेश चौधरी एवं प्रभु चौधरी की ओर से शक्तिपत्र के साथ आत्मसमर्पण सह जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी कॉपी विद्वान जिला अभियोजन पदाधिकारी श्री सतीश कुमार को दी जा चुकी है। इस काण्ड की सूचिका प्रेमशीला देवी एवं अभियुक्तों की ओर से सुलहनामा आवेदन एवं अनुमति आवेदन दाखिल किया गया है, जो अभिलेख पर है।

वाद पुकारा गया। उभयपक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री वशिष्ट नारायण सिंह का कथन है कि अभियुक्तगण निर्दोष है तथा इन्हें झुठा मुकदमा में फॅसाया गया है। यह कि अभियुक्तगण द्वारा कोई जमानत आवेदन किसी अन्य न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। यह कि अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित धारा– 341,323, 354बी,379,447,504,506/34 भा0 द0 वि0 के अन्तर्गत अपराध का आरोप है। यह कि उभय पक्षों के बीच समझौता हो गया है। अतः इन्हे जमानत की सुविधा दी जाए।

उभय पक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त है, अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा– 341,323,354बी,379,447,504, 506/34 भा0 द0 वि0 के अपराध का आरोप है। सूचिका न्यायालय में सदेह उपस्थित है, उसके द्वारा जमानत का कोई विरोध नहीं किया गया है तथा समझौता होने की बात बताई गई है तथा जमानत स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है।

उभय पक्ष द्वारा दाखिल संधि आवेदन को ध्यान में रखते हुए एवं कोई बरामदगी नहीं है तथा दोनों पक्षों में सौहार्द्र स्थापित हो जाने के कारण अभियुक्तों को मो0 10,000/– रूपये के समतुल्य राशि के एक–एक प्रतिभूति के साथ बंधपत्र दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है।

लेखापित

मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी